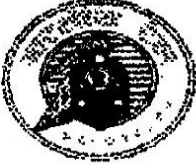


पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०न०-3-09

क्रमांक-114/2017

आरबीई सं०-45/2017

सं० ई/9/12/भाग-6 (चा.)

दिनांक 10-06-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

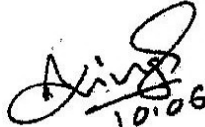
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-एस.ए.एस.नगर मोहाली में तैनात रेलवे कर्मचारियों को चण्डीगढ़ की दर के समान आवास किराया त्ता (एच.आर.ए.) प्रदान करना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(1 एण्ड ए)11-2015, 'एच.आर.ए.-7 दिनांक 12.05.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि


10.06.17

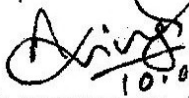
(ए० के० सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृ० महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसिएशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।


10.06.17

कृ० महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAYS BOARD)

ई(पी एण्ड ए) I-2015/एचआरए-7

आरबीई सं. 45/2017

नई दिल्ली, दिनांक 12.05.2017

महाप्रबंधक(पी)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें, और
उत्पादन इकाइयां आदि

NER

UOYAKPUR

विषय: एस.ए.एस. नगर मोहाली में तैनात रेलवे कर्मचारियों को चण्डीगढ़ की दर के समान आवास
किराया भत्ता (एचआरए) प्रदान करना।

मोहाली में तैनात रेलवे कर्मचारियों को चण्डीगढ़ के वर्गीकृत नगर ('वाई' श्रेणी) के लिए स्वीकार्य
दरों पर आवास किराया भत्ता (एचआरए) प्रदान करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार
बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया है और राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय करते हैं कि वे रेल कर्मचारी जिनका
इयूटी का स्थल एस.ए.एस. नगर मोहाली के अधिसूचित क्षेत्र कमिटी की सीमा में आता है, चण्डीगढ़ के
वर्गीकृत नगर के भीतर स्वीकार्य दरों पर एचआरए प्राप्त करने के पात्र होंगे।

2. इन आदेशों के अंतर्गत एचआरए प्रदान करने का मामला समय-समय पर यथा संशोधित इस
मंत्रालय के दिनांक 26.07.1967 के ए. सं. पीसी-66/एचआरए-1/21 में निर्धारित शर्तों के अनुसार
विनियमित किया जाएगा।

3. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

386

ई(पी एण्ड ए) II-2015/एचआरए-7

मो. सलीम अहमद
(सलीम. मो. अहमद)
उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए) II,
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 12.05.2017

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रै), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40
अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित।

मो. सलीम अहमद

कृते वित्त आयुक्त/रै

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD

RBE No. 4572017

No. E(P & A)II-2015/HRA-7

New Delhi, dated 12.05.2017.

The General Managers(P)/CAOs
All Indian Railways
and Production Units etc.

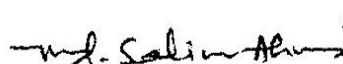
Sub: Grant of House Rent Allowance (HRA) to Railway employees posted at S.A.S. Nagar Mohali at par with Chandigarh rates.

The question of grant of House Rent Allowance (HRA) at rates admissible in the classified city of Chandigarh ("A" class) to the Railway employees posted at Mohali has been considered in Board's office in consonance with instructions of Ministry of Finance and the President is pleased to decide that the Railway employees whose place of duty falls within the limits of the notified area committee of S.A.S. Nagar Mohali shall be entitled to draw HRA at the rate admissible within the classified city of Chandigarh.

2. The grant of HRA under these orders shall be regulated in accordance with the conditions laid down in this Ministry's letter No. PC-66/HRA-1/21 dated 26.07.1967 as amended from time to time.

3. These orders shall take effect from the date of issue of this letter.

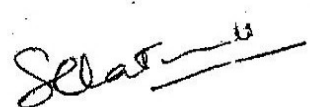
4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.


(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)II,
Railway Board.

No. E(P & A)II-2015/HRA-7

New Delhi, dated 12.05.2017.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi


For Financial Commissioner/Railways.

New Delhi, dated 12.05.2017.

No. E(P & A)II-2015/HRA-7

Copy to :-

- (1) The FA & CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.
- (4) The Director (a) IFIEN, Naik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISSET, Secunderabad

Contd....2/-